भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–158 / 2018–19

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
14.02.2019	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक–76, दिनांक–07.02.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.02.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका **रेंगो गागराई**, पिता/पति– **स्व0 चन्द्रमोहन गागराई**, जाति– **हो (अ०ज०जा०)**, ग्राम– **कोलचकड़ा**, पो0+थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा– **वार्ड नं0–05, चक्रधरपुर**, थाना– **चक्रधरपुर**, थाना नं0– **685**, खाता नं०– **158**, प्लॉट नं0– **233**, रकवा– **5 डी0, 700 वर्गकड़ी**, क्रेता **सुरेश जोंको**, पिता/पति– **श्री दुब्बी जोंको**, जाति– **हो (अ०ज०जा०)**, ग्राम– **पुसालोटा**, पो0– **लोटापहाड़**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका **रेंगो गागराई**, पिता/पति– **स्व0 चन्द्रमोहन गागराई**, जाति– **हो (अ०ज०जा०)**, ग्राम– **कोलचकड़ा**, पो0+थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना– **चक्रधरपुर**, जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति– **हो (अ०ज०जा०)**, समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात बिक्रेता को **चक्रधरपुर** अंचल अंतर्गत रकवा– **2.54.300 ए0**, अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता **रेंगो गागराई**, पिता/पति– **स्व0 चन्द्रमोहन गागराई**, जाति– **हो (अ०ज०जा०)**, ग्राम– **कोलचकड़ा**, पो0+थाना– **चक्रधरपुर**, को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि **5,00,000/– (पाँच लाख)** रूपये में बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित (हस्ताक्षर) 14.2.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। — भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	